



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 6, June 2024

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

शांति स्थापना और संघर्ष समाधान में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

Shravan Kumar

B.Sc., M.A., Department of Political Science, B.Ed., NET, PALI, Rajasthan, India

सार: संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शांति अभियान केवल नकारात्मक शांति की स्थापना न करके विश्व में सकारात्मक शांति की स्थापना करने का कार्य कर रहे हैं अर्थात इनके द्वारा युद्ध विराम करवाने के साथ ही साथ मानवाधिकारों की रक्षा एवं वृद्धि, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना का भी कार्य किया जा रहा है।

I. परिचय

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना "आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के अभिशाप से बचाने" के लिए की गई थी। दुखद बात यह है कि 1946 में चार्टर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से अब तक 250 से ज्यादा सशस्त्र संघर्ष हो चुके हैं। सतत विकास लक्ष्य 16: न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी सदस्य देशों से लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। इसके कुछ प्राथमिक लक्ष्यों में हथियारों के प्रवाह को कम करना और संगठित अपराध से निपटना, साथ ही दुनिया भर में सभी तरह की हिंसा को कम करना शामिल है। [1,2,3]

आज 600 मिलियन से ज्यादा युवा लोग अस्थिर और संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं। युवा लोग राजनीतिक हिंसा, संगठित अपराध और आतंकवादी हमलों जैसे हिंसा के कई और अक्सर आपस में जुड़े रूपों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं, जो मानवीय, सामाजिक और आर्थिक लागतों को बढ़ाते हैं। पिछले दशक में, हिंसक और चरमपंथी समूहों में युवाओं की भर्ती ने कुछ लोगों को युवाओं को वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा माना है। हालाँकि, शोध से पता चलता है कि हिंसा में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले युवाओं की संख्या बहुत कम है, जबकि अधिकांश युवा हिंसा के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं, भले ही वे रोज़ाना अन्याय, वंचना और दुर्व्यवहार का सामना करते हों, खासकर संघर्ष क्षेत्रों में। इसके अलावा, बढ़ते हुए सबूत बताते हैं कि वे सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव के एजेंट के रूप में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और निभाते भी हैं, और हाल ही में अपनाया गया सुरक्षा परिषद का युवा, शांति और सुरक्षा पर संकल्प 2250 इस तथ्य को उजागर करता है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में युवाओं द्वारा निभाई जा सकने वाली सकारात्मक भूमिका की औपचारिक मान्यता है।

वैश्विक शांति और सुरक्षा का रखरखाव एक ऐसा मुद्दा है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के कई कार्यालय अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और बनाए रखने में शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं: सुरक्षा परिषद, महासभा, महासचिव, शांति अभियान विभाग, क्षेत्रीय सहायता और राजनीतिक मामले और शांति निर्माण सहायता कार्यालय। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान भी महत्वपूर्ण अभिनेता हैं क्योंकि वे भविष्य के नेताओं और शांति निर्माताओं को शिक्षित करते हैं, जो दुनिया में शांति निर्माण की दिशा तय करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र विभिन्न तंत्रों और कार्रवाइयों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय VII में उल्लिखित है: शांति के लिये खतरों, शांति के उल्लंघन और आक्रामकता के कृत्यों के संबंध में कार्रवाई (अनुच्छेद 39-51)।

निम्नलिखित प्रमुख उपायों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अपनी भूमिका निभाता है:

- सामूहिक सुरक्षा (Collective Security): संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिये उत्तरदायी एक प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद के पास अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिये बल प्रयोग सहित अन्य उपाय करने का अधिकार है।

- शांति-रक्षा अभियान (Peacekeeping Operations): संयुक्त राष्ट्र संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति-रक्षा मिशन की तैनाती करता है। मिशन में सदस्य देशों के सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी शामिल होते हैं जो युद्धविराम की निगरानी करने, सुलह वार्ता को सुविधाजनक बनाने और शांति समझौतों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिये कार्य करते हैं।
- कूटनीति और संघर्ष समाधान (Diplomacy and Conflict Resolution): संयुक्त राष्ट्र राजनयिक वार्ता और संघर्ष समाधान के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद एवं सुलह वार्ता को प्रोत्साहित करता है और शांतिपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिये विवादों में मध्यस्थता करने में सहायता करता है।
- प्रतिबंध (Sanctions): सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करने वाले देशों या संस्थाओं के विरुद्ध व्यापार प्रतिबंध एवं यात्रा प्रतिबंध जैसे आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध अधिरोपित कर सकता है।
- निवारक कूटनीति (Preventive Diplomacy): संयुक्त राष्ट्र अग्रसक्रिय रूप से संभावित संघर्षों की पहचान करने और उनकी वृद्धि को रोकने के लिये प्रयास करने के रूप में निवारक कूटनीति में संलग्न होता है।
- संघर्ष की रोकथाम (Conflict Prevention): संयुक्त राष्ट्र संघर्षों के प्रसार को रोकने के लिये गरीबी, असमानता और मानवाधिकारों के हनन जैसे संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने के लिये कार्य करता है।
- मानवीय सहायता (Humanitarian Assistance): संयुक्त राष्ट्र संघर्षों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता पीड़ा कम करने, जीवन की रक्षा करने और संघर्षों के परिणामों का समाधान करने में मदद करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Law): संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों एवं अभिसमयों के पालन को बढ़ावा देता है जो राज्यों के बीच व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विश्व के देश संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं अन्य राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों का सम्मान करें।
- निरस्त्रीकरण और अप्रसार (Disarmament and Non-Proliferation): संयुक्त राष्ट्र सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को कम करने और निरस्त्रीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।[4,5,6]

II. विचार-विमर्श

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की सफलता:

- विश्व युद्धों की रोकथाम:
 - संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के किसी अन्य वैश्विक संघर्ष को रोकने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी।
 - संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद से किसी तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति का नहीं उभरना वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में इसकी सफलता के रूप में देखा जा सकता है।
- परमाणु प्रसार को रोकना:
 - पाँच दशकों से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) विश्व के परमाणु निरीक्षक के रूप में कार्य कर रही है।
 - IAEA विशेषज्ञ यह सत्यापित करने के लिये सक्रिय बने रहते हैं कि सुरक्षित परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है। इस संदर्भ में एजेंसी ने अभी तक 180 से अधिक देशों के साथ सुरक्षा समझौते (safeguards agreements) संपन्न किये हैं।
- निरस्त्रीकरण का समर्थन:
 - संयुक्त राष्ट्र संधियाँ निरस्त्रीकरण प्रयासों को कानूनी रीढ़ प्रदान करती हैं:
 - रासायनिक हथियार अभिसमय (Chemical Weapons Convention) 1997 को 190 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है
 - इसी प्रकार, खनन-प्रतिबंध अभिसमय (Mine-Ban Convention) 1997 को 162 देशों द्वारा और शस्त्र व्यापार संधि (Arms Trade Treaty) 2014 को 69 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है
- शांति-रक्षा अभियान:
 - संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष को कम करने और संघर्ष के बाद की स्थिरता का समर्थन करने के लिये कई शांति मिशन चलाए हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और राजनयिक प्रयासों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर, विशेषकर अफ्रीका में, संघर्षों को रोकने और हल करने में अधिक सफल रहा है।

- अंतर्राज्यीय संघर्षों का समाधान:
 - संयुक्त राष्ट्र ने कुछ अंतर्राज्यीय संघर्षों में सफलतापूर्वक मध्यस्थता की है और विभिन्न देशों के बीच विवादों का निवारण या समाधान किया है।
 - उदाहरण: वर्ष 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट।
- मानवीय और राहत प्रयास:
 - संयुक्त राष्ट्र संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय एवं राहत प्रयासों से संलग्न रहा है जहाँ संघर्षों से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करता है।[7,8,9]
 - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) राहत सहायता प्रदान करने में प्राथमिक भूमिका निभाते रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता या सीमाएँ
- इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष (वर्ष 1948 से अब तक): संयुक्त राष्ट्र इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने में विफल रहा है, जहाँ इज़राइल ने फिलिस्तीन के ऐतिहासिक क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा है और उसे उसके कृत्यों के लिये अधिक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है।
- कंबोडिया हिंसा (वर्ष 1975-1979): संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार उल्लंघन की अनदेखी करते हुए ख्मेर रूज (Khmer Rouge) शासन को मान्यता प्रदान की और कंबोडिया में नरसंहार को रोकने में विफल रहा।
- सोमालिया और दक्षिण सूडान में गृह युद्ध (वर्ष 1991 से अब तक): सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन वहाँ संलग्नता के लिये किसी सरकार के अभाव और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के विरुद्ध बार-बार हमलों के कारण विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों की मौत हुई।
 - संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की मौजूदगी के बावजूद दक्षिण सूडान में जारी गृहयुद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं।
- सूडान में दारफुर संघर्ष (वर्ष 2003 से अब तक): दारफुर में संघर्ष शुरू होने के कई वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप किया गया और वहाँ स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।
- इराक पर आक्रमण (वर्ष 2003-2011): संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1483 के तहत सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of mass destruction- WMDs) के बारे में चिंताओं को आधार बनाते हुए इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में आक्रमण किया गया जिससे भारी अस्थिरता उत्पन्न हुई और बाद में यह ISIS के उदय का कारण बना। ISIS ने इराक और सीरिया के वृहत् क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे एक बड़ा क्षेत्रीय एवं वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ।
- सीरियाई गृहयुद्ध (वर्ष 2011 से अब तक): सीरियाई युद्ध में सुरक्षा परिषद की सीमित कार्रवाई के कारण क्षेत्र में दीर्घकालिक एवं विनाशकारी संघर्ष की स्थिति बनी रही है जहाँ लाखों सीरियाई विस्थापित हुए हैं।
- यमन गृहयुद्ध (वर्ष 2014 से अब तक): यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हस्तक्षेप से मानवीय सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है।
- रोहिंग्या संकट, म्यांमार (वर्ष 2017 से अब तक): संयुक्त राष्ट्र म्यांमार में रोहिंग्या आबादी के उत्पीड़न और विस्थापन को रोकने में विफल रहा।
- संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षा अभियानों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ
- रणनीतिक चुनौतियाँ:
 - पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव: सुरक्षा परिषद कम प्रभावकारी है क्योंकि यह कम प्रतिनिधिक है। इसमें अफ्रीका (54 देशों का महाद्वीप) के प्रतिनिधित्व की कमी सर्वाधिक प्रकट है।
 - नेतृत्व प्रणाली: संयुक्त राष्ट्र शांति-रक्षा अभियानों की प्रभावशीलता नेतृत्व की विफलताओं, अकुशल प्रबंधन, अनुशासन संबंधी मुद्दों और पारंपरिक शांति स्थापना दृष्टिकोणों में अक्षमताओं के कारण बाधित हुई है।
 - विधान: सैन्य और पुलिस बल का योगदान करने वाले देशों द्वारा SOFA (Status of Forces Agreements), शासनादेश (mandates) और संलग्नता नियमावली (Rules of Engagement) की अलग-अलग व्याख्या की जाती है।
 - वैश्विक व्यवस्था: शक्तिशाली देशों के भू-राजनीतिक और रणनीतिक हित संयुक्त राष्ट्र के निर्णयन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हितों के टकराव की स्थिति बन सकती है।[10,11,12]
- परिचालन संबंधी चुनौतियाँ:
 - सशस्त्र संघर्ष की प्रकृति: हिंसक उग्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध के उभरते खतरों ने शांति सैनिकों के लिये नागरिकों की रक्षा करना तथा सुरक्षा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना दिया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ शांति एवं स्थिरता स्थापित करना कठिन है।

- वीटो शक्ति का दुरुपयोग: वीटो शक्ति की विभिन्न विशेषज्ञों के साथ-साथ अधिकांश देशों द्वारा आलोचना की जाती है जहाँ इसे अलोकतांत्रिक और 'विशेषाधिकार प्राप्त देशों का स्व-चयनित क्लब' (self-chosen club of the privileged) कहा गया है। इसकी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि P-5 समूह में से किसी भी देश की असंतुष्टि पर सुरक्षा परिषद आवश्यक निर्णय नहीं ले पाता है।
- अभियान के तरीके: शांति-रक्षा अभियानों के लिये अब मेज़बान देश की सरकार और सामाजिक संस्थानों को समर्थन देने या पुनर्स्थापित करने के लिये सामाजिक एवं सैन्य गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला की आवश्यकता होती है।
- तत्परता/पूर्व-तैयारी: संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई स्थायी सेना या पुलिस बल नहीं है, जिससे बहुराष्ट्रीय सदस्य देशों की सेना और पुलिस बलों को क्षेत्रीय मिशनों के लिये जुटाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- कार्यनीति संबंधी चुनौतियाँ:
- P-5 के बीच भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों (P-5) के बीच भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने इसे अफगानिस्तान पर आक्रमण जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिये प्रभावी तंत्र के साथ सामने आने से बाधित किया।
- अभियानों के बारे में सामान्य समझ का अभाव: शांति सैनिकों के बीच अभियानों की सामान्य समझ का अभाव अप्रभावी तैनाती का कारण बन सकता है।
- बहुपक्षीय सहयोग: अभियान क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों को एकीकृत करने वाली व्यापक एवं प्रभावशील नेतृत्व प्रणाली पा सकना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- अनुशासन और आचार संहिता: शांतिरक्षक, पुलिस और नागरिक कर्मी संयुक्त राष्ट्र की संपत्तियों के संबंध में कदाचार एवं दुरुपयोग से संलग्न हो सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत का योगदान
- सैनिकों की तैनाती: वर्ष 1950 में कोरिया में अपनी पहली सैन्यबल तैनाती के बाद से भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के 72 मिशनों में से 49 में भागीदारी की है, जहाँ विश्व भर में कुल 253,000 से अधिक कर्मी तैनात किये गए हैं।
 - महिला शांतिरक्षक: भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन (United Nations Organization Stabilization Mission) और अबेई के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (United Nations Interim Security Force for Abyei) में महिला संलग्नता दलों (Female Engagement Teams) की तैनाती की, जो लाइबेरिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी महिला टुकड़ी थी।
- चिकित्सा और इंजीनियरिंग इकाइयाँ: भारत संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल और अवसंरचना विकास जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिये चिकित्सा दलों और इंजीनियरिंग इकाइयों की तैनाती करता है। [13,14,15]
- प्रशिक्षण में विशेषज्ञता प्रदान करना: भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (Centre for United Nations Peacekeeping- CUNPK) शांति स्थापना अभियानों में प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- नेतृत्वकारी भूमिकाएँ: भारतीय अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ (फ़ोर्स कमांडर सहित) निभाई हैं और प्रभावी मिशन प्रबंधन में योगदान किया है।
- मानवीय सहायता: सैन्य योगदान के अलावा, भारत ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता और आपदा राहत सहायता सहित मानवीय सहायता भी प्रदान की है।
- UNSC की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार:
 - स्थायी सदस्यों की संख्या का विस्तार करना।
 - सामूहिक उत्पीड़न के मामलों में वीटो के उपयोग पर सीमाएँ लागू करना और सामूहिक वीटो परामर्श (collective veto consultation) शुरू करना।
 - DPPA (Department of Political and Peacebuilding Affairs) और DPO (Department of Peace Operations) को पर्याप्त संसाधन प्रदान करना।
 - समन्वय को सुव्यवस्थित और उन्नत करने के लिये एकल राजनीतिक-संचालन संरचना का निर्माण करना
 - संघर्ष निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना:
 - ख़ुफ़िया जानकारी संग्रहण को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय पूर्व-चेतावनी केंद्रों का विकास करना।
 - राजनयिक प्रयासों में निवेश करना और विशेष दूतों की भूमिका का विस्तार करना।
 - शांति-रक्षा अभियानों को संवृद्ध करना:
 - क्रॉस-पिलर समन्वय (cross-pillar coordination) को बढ़ावा देने के साथ एक समन्वित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
 - हाइब्रिड एवं अपरंपरागत युद्ध में प्रशिक्षण प्रदान करना और शांति सैनिकों को उन्नत तकनीक से लैस करना।
 - शांतिरक्षक अनुशासन को सुदृढ़ करते हुए कदाचार और यौन शोषण के मुद्दों को संबोधित करना।

- भागीदारी को सुदृढ़ करना:
- गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ संबंध सुदृढ़ करना और ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना।
- निजी क्षेत्र से संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाना, व्यावसायिक हितों को शांति एवं सुरक्षा लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
- अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ संबंध बढ़ाना तथा संयुक्त शांति स्थापना पहल में भागीदारी करना।

विश्व में संघर्षों, आतंकवाद, मानवीय संकटों एवं अन्य उभरते खतरों के साथ एक नवीन ऊर्जावान और अधिक कुशल संयुक्त राष्ट्र शांति एवं सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता तेज़ी से स्पष्ट होती जा रही है। हालाँकि, यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों को लागू करने के लिये सदस्य देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ लगातार निगरानी एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

III. परिणाम

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी देता है। महासभा और महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यालयों और निकायों के साथ प्रमुख, महत्वपूर्ण और पूरक भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा परिषद शांति के लिए किसी खतरे या किसी आक्रामक कृत्य के अस्तित्व का निर्धारण करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। यह विवाद के पक्षों से शांतिपूर्ण तरीकों से इसे सुलझाने का आह्वान करती है और समायोजन के तरीकों या निपटान की शर्तों की सिफारिश करती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत, सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रवर्तन उपाय कर सकती है। ऐसे उपायों में आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर अंतरराष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई तक शामिल हैं। परिषद संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और विशेष राजनीतिक मिशन भी स्थापित करती है। परिषद प्रस्तावों में अपनी इच्छा व्यक्त करती है।

मानवीय पीड़ा और संघर्षों तथा उनके परिणामों की भारी आर्थिक लागत को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका संघर्षों को पहले ही रोकना है। संयुक्त राष्ट्र संघर्षों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कूटनीति, सद्भावना और मध्यस्थता का उपयोग करके राष्ट्रों को संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने और हल करने में मदद करता है। [16,17,18]

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास विशेष और निजी प्रतिनिधि, दूत और सलाहकार होते हैं जिन्हें संकटों को कम करने और संघर्षों के लिए बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने में सहायता करने के लिए दुनिया भर में तनाव वाले क्षेत्रों में भेजा जाता है। महासचिव संघर्ष के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने "अच्छे कार्यालयों" का भी उपयोग कर सकते हैं - अंतरराष्ट्रीय विवादों को उत्पन्न होने, बढ़ने या फैलने से रोकने के लिए, अपनी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अखंडता का उपयोग करते हुए, सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर उठाए गए कदम।

नागरिक नेतृत्व वाले राजनीतिक मिशनों को राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने, या गृह युद्धों के बाद पुनर्निर्माण कर रहे समाजों में सुलह और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए तैनात किया जाता है।

विश्व भर में विश्वसनीय चुनावों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्य, शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को रोकने के उसके प्रयासों में भी प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है।

इन गतिविधियों का आधार यह विश्वास है कि राजनीतिक मुद्दे कई संघर्षों की जड़ में हैं, और इसलिए उन्हें हल करने के लिए राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है।

शांति स्थापना

शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र के लिए उपलब्ध सबसे प्रभावी साधनों में से एक साबित हुई है, जो देशों को संघर्ष से शांति की ओर कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करती है। आज के बहुआयामी शांति स्थापना अभियानों को न केवल शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बुलाया जाता है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने, नागरिकों की रक्षा करने, निरस्त्रीकरण, विमुद्रीकरण और पूर्व लड़ाकों के पुनः एकीकरण में सहायता करने; संवैधानिक प्रक्रियाओं और चुनावों के आयोजन का समर्थन करने, मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करने तथा कानून के शासन को बहाल करने और वैध राज्य प्राधिकरण का विस्तार करने में सहायता करने के लिए भी बुलाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना तीन बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती है:

- पक्षों की सहमति;
- निष्पक्षता;
- आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग न किया जाए।

शांति अभियानों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अधिदेश प्राप्त होता है; उनके सैनिक और पुलिस सदस्य देशों द्वारा प्रदान किए जाते हैं; तथा उनका प्रबंधन शांति अभियान विभाग द्वारा किया जाता है तथा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के परिचालन सहायता विभाग द्वारा उनका समर्थन किया जाता है।

पहला शांति मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) था, जिसकी स्थापना 1945 में इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए की गई थी। तब से, 125 देशों के दस लाख से अधिक महिलाएँ और पुरुष दुनिया भर में 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा दे चुके हैं।

आज संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियानों में 90,000 नागरिक, पुलिस और सैन्य शांति सैनिक तैनात हैं। 2019 में, महासचिव ने शांति अभियानों के लिए आपसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक्शन फॉर पीसकीपिंग इनिशिएटिव (A4P) की शुरुआत की।

संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक शांति स्थापना बजट वैश्विक सैन्य व्यय का 0.5 प्रतिशत से भी कम है।

शांति स्थापना

संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण गतिविधियों का उद्देश्य संघर्ष से उभर रहे देशों की सहायता करना, संघर्ष में पुनः फंसने के जोखिम को कम करना तथा स्थायी शांति और विकास की नींव रखना है।

संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण संरचना में शांति निर्माण आयोग, शांति निर्माण कोष और शांति निर्माण सहायता कार्यालय शामिल हैं।
निरस्त्रीकरण

संयुक्त राष्ट्र के जन्म के बाद से ही बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण और हथियारों की सीमा के लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संगठन के प्रयासों के केंद्र में रहे हैं। इन लक्ष्यों में परमाणु हथियारों को कम करना और अंततः उन्हें खत्म करना, रासायनिक हथियारों को नष्ट करना और जैविक हथियारों के निषेध को मजबूत करना, बारूदी सुरंगों, छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के प्रसार को रोकना शामिल है।

वैश्विक प्रयासों के माध्यम से, कुछ हथियारों को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने या समाप्त करने के उद्देश्य से कई बहुपक्षीय संधियाँ और साधन स्थापित किए गए हैं। परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (एनपीटी) 1970 में लागू हुई, जैविक हथियार सम्मेलन 1975 में, रासायनिक हथियार सम्मेलन 1997 में और एंटी-पर्सनल लैंडमाइन कन्वेंशन 1999 में लागू हुआ। व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि 1996 में अपनाई गई थी, हालाँकि यह अभी तक लागू नहीं हुई है। क्लस्टर म्यूनिशन पर कन्वेंशन, कुछ पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन और शस्त्र व्यापार संधि भी है।

परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि 2021 में लागू हुई और जून 2022 में वियना में सदस्य देशों की पहली बैठक आयोजित की गई।

महिलाएँ, शांति और सुरक्षा

जबकि महिलाएँ लड़ाकों और युद्ध अपराधियों में अल्पसंख्यक बनी हुई हैं, वे लगातार सबसे ज़्यादा नुकसान झेल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने माना कि निर्णय लेने में महिलाओं और लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने से महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संकल्प 1325 को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ स्थायी शांति की संभावनाएँ मजबूत हो सकती हैं। यह ऐतिहासिक संकल्प विशेष रूप से सशस्त्र संघर्ष में महिलाओं की स्थिति को संबोधित करता है और संघर्ष समाधान और शांति निर्माण पर निर्णय लेने के सभी स्तरों पर उनकी भागीदारी का आह्वान करता है।

शांति स्थापना और युवा

युवा लोग शांति के लिए आवश्यक भूमिका निभाते हैं। उनके सक्रिय योगदान के बिना सतत विकास और शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। संघर्ष क्षेत्रों में, युवाओं के पास अक्सर अपने समुदायों के बारे में अमूल्य ज्ञान होता है और वे उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकते हैं। युवाओं को अपने समुदायों में शांति के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए, उनकी ज़रूरतों को संबोधित किया जाना चाहिए, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाना चाहिए और उनकी भागीदारी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने लंबे समय से अधिकांश मेजबान देशों में युवाओं को एक आवश्यक जनसांख्यिकी के रूप में शामिल करने के महत्व को पहचाना है, साथ ही नागरिक, पुलिस और सैन्य शांति सैनिकों के रूप में संचालन में उनका स्वागत किया है। 30 वर्ष से कम आयु के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अक्सर स्थानीय आबादी के युवा सदस्यों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने और उनके लिए रोल मॉडल के रूप में काम करने में सक्षम होते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में नवाचार और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं।

IV. निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस – 29 मई

संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, हम 1948 में पहले मिशन की तैनाती के बाद से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के रूप में सेवा करने वाले दो मिलियन से अधिक पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करते हैं। हम उन 4,000 से अधिक कर्मियों को सलाम करते हैं और याद करते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है। हम 12 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में दुनिया भर में वर्तमान में तैनात 90,000 नागरिक, पुलिस और सैन्य शांति सैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।^[19]

आतंकवाद का मुकाबला

आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र से लगातार आग्रह किया जा रहा है। विशिष्ट आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अठारह सार्वभौमिक साधनों को विस्तृत किया गया है। सितंबर 2006 में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति को अपनाया। यह पहली बार था जब सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ एक आम रणनीतिक और परिचालन ढांचे पर सहमत हुए।

संगठित अपराध

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध कई रूपों में होता है, जिसमें नशीले पदार्थों, आग्नेयास्त्रों और यहां तक कि लोगों की तस्करी से लेकर धन शोधन और भ्रष्टाचार तक शामिल है। आज संगठित अपराध विविधतापूर्ण हो गया है, वैश्विक हो गया है और व्यापक आर्थिक अनुपात तक पहुंच गया है, जिससे यह शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सम्मेलन (संगठित अपराध सम्मेलन) और तीन पूरक प्रोटोकॉल - मानव तस्करी, प्रवासियों की तस्करी और आग्नेयास्त्रों की तस्करी का संरक्षक है।^[20]

संदर्भ

1. "देश और पोस्ट पुलिस, मिशन पर संयुक्त राष्ट्र सैन्य विशेषज्ञ, स्टाफ अधिकारी और सैनिकों द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदानकर्ता" (पीडीएफ), संयुक्त राष्ट्र, 31 अगस्त 2020, 19 सितंबर 2020 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत
2. ^ "संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना". संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना | 2022-07-28 को लिया गया।
3. ^ "शांति और सुरक्षा". संयुक्त राष्ट्र | 2017-05-18 को लिया गया।
4. ^ नौ, हेनरी (2015)। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर परिप्रेक्ष्य। वाशिंगटन डीसी: सीक्यू प्रेस। पृ . 252. आईएसबीएन 978-1-4522-4148-7.
5. ^ "कैपस्टोन सिद्धांत" (पीडीएफ)। से संग्रहीत असली (पीडीएफ) 2008-08-19 को।^{पुनः} प्राप्त किया 2011-07-16 .
6. ^ ओक्सामाइटना, केसेनिया; बोव, विन्सेन्ज़ो; लुंडग्रेन, मैग्रेस (2021)। "संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में नेतृत्व का चयन"। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन त्रैमासिक | 65 : 16–28. doi : 10.1093/isq/sqaa023 |
7. ^ लुंडग्रेन, मैग्रेस; ओक्सामाइटना, केसेनिया; कथरीना, कोलमैन (2021)। "केवल अपने सैन्य योगदानकर्ताओं की तरह ही तेज़: संयुक्त राष्ट्र की शांति प्रतिक्रिया में प्रोत्साहन, क्षमताएँ और बाधाएँ"। जर्नल ऑफ़ पीस रिसर्च | 58 (4): 671–686. doi : 10.1177/0022343320940763 |
8. ^ यहाँ जाएं:^{a b c} "हमें कैसे वित्त पोषित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना". peacekeeping.un.org | 2023-11-25 को पुनःप्राप्त.
9. ^ यहाँ जाएं:^{एबी} निकोल्स, मिशेल। "संयुक्त राष्ट्र के देश 7.3 बिलियन डॉलर के शांति स्थापना बजट पर सहमत हुए, अमेरिका की हिस्सेदारी में 7.5 प्रतिशत की कटौती"। रॉयटर्स। मूल 29 जून 2017 को संग्रहीत। 1 जुलाई 2017 पुनःप्राप्त।
10. ^ "जनरल असेंबली ने 2015/16 में 15 शांति अभियानों के लिए 8.3 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है क्योंकि इसने 25 प्रस्तावों को अपनाया है, पांचवीं समिति की रिपोर्ट में 1 निर्णय | मीटिंग कवरेज और प्रेस विज्ञप्तियाँ"। www.un.org | 1 जुलाई 2017 को लिया गया।
11. ^ "संयुक्त राष्ट्र ने 13 साल बाद आइवरी कोस्ट में शांति मिशन समाप्त किया"। एबीसी न्यूज़ | 1 जुलाई 2017 को लिया गया।
12. ^ "1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए शांति अभियानों के लिए स्वीकृत संसाधन"। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र | 30 जून 2017 | 21 जुलाई 2018 को लिया गया।
13. ^ "1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की अवधि के लिए शांति अभियानों के लिए स्वीकृत संसाधन"। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र | 5 जुलाई 2018 | 21 जुलाई 2018 को लिया गया।
14. ^ "संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का कुल आकार"। डेटा में हमारी दुनिया | 7 मार्च 2020 को लिया गया।
15. ^ "मिनेसोटा विश्वविद्यालय मानवाधिकार पुस्तकालय"। hrlibrary.umn.edu .
16. ^ "डेटा | संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना"। संयुक्त राष्ट्र | 30 जून 2019। पुनः प्राप्त किया 30 जुलाई 2019 .

17. ^ "संयुक्त राष्ट्र सेना और पुलिस योगदानकर्ता संग्रह (1990 - 2013)" । 11 अक्टूबर 2014 को लिया गया ।
18. ^ "कोरियाई युद्ध युद्धविराम" . बीबीसी समाचार . 2015-03-05 . 2017-02-09 को पुनःप्राप्त .
19. ^ "इतिहास > 1953 के बाद: UNC का विकास" . संयुक्त राष्ट्र कमान । 2023-11-08 को लिया गया ।
20. ^ "लेस्टर बी. पियर्सन: 1957 नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता" . विदेशी मामले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कनाडा . 2012-10-18. मूल से 15 जनवरी 2013 को संग्रहीत.



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details